



चश्मा योजना हेतु अण्डरटेकिंग

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती

सुपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्रीदिनांकसे मैसर्ज.....

.....मेंके पद पर कार्यरत हूँ। मैंने और

मेरे आश्रित ने अब से पहले और पांच वर्ष के दौरान इस योजना का कोई लाभ नहीं लिया है।

संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मोहर सहित

आवेदक के हस्ताक्षर